

इंदिरा आवास का अगला कैम्प 10 अगस्त को

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

इंदिरा आवास योजना के तहत प्रखंड स्तरीय अगला कैम्प 10 अगस्त को लगाया जाएगा। इससे पहले 8 और 29 जून को शिविर का आयोजन किया गया था। इन दोनों शिविरों में दो लाख 47 हजार बीपीएल लोगों के बीच 1235 करोड़ रुपए बांटे गए थे।

कई जिलों में केन्द्र से रुपए नहीं आने से शिविरों का आयोजन ठीक ढंग से नहीं हो सका था। परंतु अब केन्द्र से रुपए आवंटित हो चुके हैं और राज्य सरकार ने भी करीब 300 करोड़ रुपए राज्यांश दे दिया है। इन कारणों से तीसरी बार इंदिरा आवास योजना का कैम्प लगाया जा रहा है। इस बार दार्द लाख लोगों को

ऐसी होगी शिविर की व्यवस्था

शिविर की संपूर्ण व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे। जरूरत के अनुसार टेंट, कुर्सी समेत अन्य की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा शिविर में पेयजल, अस्थायी शौचालय, प्राथमिक उपचार, लाउडस्पीकर, दो बड़े बैनर समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी। शिविर में अन्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जाएगी। बैंकों के साथ बैठक कर पंचायतवार भुगतान की तिथि का रोस्टर तैयार करेंगे। इस रोस्टर का प्रदर्शन 10 अगस्त को आयोजित शिविर में करना होगा। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि शिविर हर हाल में तय मापदंड के अनुसार ही लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं करने वाले बीडीओ पर कार्रवाई की जाएगी। शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी व्यवस्था की गई है।

आवास देने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में छह लाख 5 हजार 550 लोगों को इंदिरा आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।

इस वित्तीय वर्ष में तीसरी बार लगने वाले इस कैम्प के लिए विशेष अभियान

चलाने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी डीएम और डीडीसी को दिया है। इसके तहत जिन पंचायतों में एससी-एसटी वर्ग के लाभुकों की प्रतीक्षा सूची खत्म हो चुकी है, वहां

एससी-एसटी परिवारों का फिर से सर्वेक्षण कराकर बीपीएल में नाम जोड़ने कार्य 22 जुलाई तक करवा लेना है। इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से कोटिवार (एससी-एसटी, अल्पसंख्यक, विकलांग और सामान्य वर्ग) के अनुसार लाभार्थियों का चयन कर 27 जुलाई तक सूची तैयार कर ली जाए। 1 अगस्त तक लाभुकों को इंदिरा आवास के लिए स्थानीय चौकीदार के माध्यम से तामीला कराया जाएगा। 1 से 5 अगस्त तक पंचायतवार शिविर लगाकर लाभुकों के बैंक खाता खुलवाए जाएंगे। इसी दौरान लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन और आवास सॉफ्ट पर इन्हें अपलोड किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के अंदर डीएम के स्तर से किया जाएगा।